TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1R, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

(i) the existing clause (C) and entries thereto of serial number 1 of the table shall be substituted by the following, namely:-

(C) Four wheeled vehicles having engine capacity	
With seating capacity upto 10 including driver	
(i) upto 800 cc	
(a) Petrol	4% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	6% of the cost of the vehicle
(ii) more than 800 cc and upto 1200 cc	
(a) Petrol	7% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	9% of the cost of the vehicle
(iii) more than 1200 cc	
(a) Petrol	8% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	10% of the cost of the vehicle

(ii) in clause (7) of proviso, for the existing expression "motor cab or maxi cab", wherever occurring, the expression "motor cab or maxi cab or private service vehicle" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1U] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)पिर/टैक्स/एचक्यू/95/1आर दिनांक 14.07.2014 में, तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक १ के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ग) इंजन क्षमता वाले चार पहिया यान	
ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक	
की बैठक क्षमता वाले	
(i) 800 सीसी तक	
(क) पैट्रोल	यान की लागत का 4 प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 6 प्रतिशत
(ii) 800 सीसी से अधिक और 1200	
सीसी तक	
(क) पैट्रोल	यान की लागत का ७ प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 9 प्रतिशत
(iii) 1200 सीसी से अधिक	
(क) पैट्रोल	यान की लागत का ८ प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 10 प्रतिशत

(ii) विद्यमान परन्तुक (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मोटर कैब या मैक्सी कैब'' जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मोटर कैब या मैक्सी कैब या प्राइवेट सेवा यान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

> [सं.एफ.६(१७९)परि/टैक्स/एचक्यू/९५/१यू] राज्यपाल के आदेश से,

> > डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव

> > > 13